ग्राम पंचायत भलेटा विकास खण्ड व तहसील नूरपुर जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 प्रस्तावना:-

{क} ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भलेटा, विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति शान्ति देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री विक्रम सिंह	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अजय कुमार	02-04-14 से 10-12-14
2.	श्री कमल किशोर	11-12-14 से 15-12-16
3.	श्री प्यार सिंह	16-12-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण भारी अन्तर	3.22
2.	6	पंचायत राजस्व की वसूली का शेष पाया जाना।	.55
3.	6.1	स्व-स्त्रोत निधि का ऋणात्मक शेष बारे।	.36
4.	7	अनुदानों का अधिक व्यय करने बारे।	7.14

5	7.1	अनुदानों का उपयोग न करना।	16.34
6.	7.2	अज्ञात अनुदान बारे।	1.80
7.	8	बिना औपचारिकताओं के खरीद बारे।	7.59
8 .	9(ख)	14वें वित्त आयोग अनुदान का अधिक व्यय करना।	2.46
9.	10	निर्माण सामग्री का स्टॉक इन्द्राज न करना।	9.00

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भलेटा विकास खण्ड व तहसील नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 17-06-2017 ,17-07-17 से 20-07-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय भलेटा में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 01/15 ,12/15 व 02/17 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 10/14,10/15, 06/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत भलेटा , विकास खण्ड नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 157 दिनांक 20 -07-17 द्वारा सचिव, पंचायत भलेटा से अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति**:- ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत भलेटा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014 -15	-90438	31310	-59128	7800	-66928
2015 -16	-66928	52289	-14639	5541	-20179
2016 -17	-20179	35416	15237	51177	-35940

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत भलेटा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट - 1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014 -15	205676	1221300	1426976	1134217	292759
2015 -16	292759	2557677	2850436	2884015	-33579
2016 -17	-33579	3752304	3718725	2084841	1633884

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB jassur	20032005683	1817424
2.	----do------	50055019573	21686
3.	----do------	50055069724	32317
4.	----do------	50055069554	3581
5.	----do------	50055869666	1098
6.	----do-----	20032006518	35215
7.	----do-----	20032006483	8186
		cash in hand	483
		TOTAL	**1919990**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1919990

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क-ख):- ₹ 1597944

अन्तर :- ₹ 322046

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण₹3.22 लाख का अन्तर :-

ग्राम पंचायत भलेटा की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था ।वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹322046 का अन्तर था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 नियमों के विरुद्ध सात बैंक बचत खातों का खोला जाना:-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्धारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार सात बैंक बचत खाते खोले गए है। अत:नियमों के विरुद्ध खोले गए इन पांच अतिरिक्त बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए अतिरिक्त पांच खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.55 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹54580 की वसूली शेष थी ।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	7280	15000	22280	-----	22280
2015 -16	22280	15500	37780	----	37780
2016 -17	37780	16800	54580	-----	54580

जाँच में पाया गया कि गत तीन साल से पंचायत द्वारा ग्रह कर की वसूली नही की गई है। जोकि एक गम्भीर मामला है। अत: ग्रह कर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व गृह कर की वसूली नियमित रूप से करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.1 स्व-स्त्रोत निधि के ₹0.36 लाख ऋणात्मक शेष बारे :-

सचिव, ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा उपलब्ध करवाए गए आय-व्यय के आंकड़ो तथा पैरा 4(1) स्व-स्त्रोत की वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31-3-17 को ₹35940 का ऋणात्मक शेष है स्व स्त्रोत निधि में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अनुदान से व्यय की गई व स्व स्त्रोत निधि शीर्ष में कुल प्राप्ति से ₹35940 अधिक व्यय किए गए। जाँच में यह भी पाया गया कि उक्त तीनो ही वर्ष में स्व-स्त्रोत निधि का ऋणात्मक शेष पाया गया है जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशि को वसूल कर स्व-स्त्रोत निधि शीर्ष में जमा किया जाए तथा पंचायत के आय के स्त्रोतों को बढ़ाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 प्राप्त अनुदानों से ₹7.14 लाख का अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान 3rd state,VKVNY,NCR,IAY,MMAGY,TSC के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹90961, ₹132705, ₹23464, ₹176500,₹288264, ₹2400 इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹714294 अधिक खर्च किए गए। जो कि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए

7.1 अनुदान ₹16.34 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान ₹1633884 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत भलेटा को इस सन्दर्भ में अवगत करवाया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7.2 अज्ञात अनुदान ₹1.80 लाख बारे :-

अंकेक्षण के दौरान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विवरण परिशिष्ट-1 में भी दिया गया में दिनांक 1-04-14 व 31-03-17 को दर्शाई ₹180186 अज्ञात अनुदान के रूप शेष दर्शाई गई है ,यह राशि किस अनुदानों से सम्बन्धित है से अंकेक्षण

को अवगत नहीं करवाया गया अत: उक्त राशि को अज्ञात अनुदान के रूप में दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹7.59 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹758862 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत भलेटा को इस सन्दर्भ में अवगत करवाया गया,जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 14वें वित्त आयोग से क्रय की गई सोलर लाइटों पर ₹4.50 लाख के व्यय करने सम्बन्धी अनियमितताओं बारे :-

वाउचर सं 20 माह 06/16 पृष्ट 74 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹449820 की 18 सोलर लाइटें उक्त अनुदान से खरीदी गई में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) उक्त खरीद खुले बाजार से की गई जबकि उक्त खरीद हिम उर्जा से की जानी अपेक्षित थी अत: खुले बाजार से खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) सचिव,पंचायती राज के पत्र सं :पी०सी०एच०(10)1/2013(एफ०एफ०सी०)-37299-388 दिनांक 31-12-15 की मद 5 के अनुसार 14वें वित्त आयोग की कुल प्राप्त राशि की 10% राशि ही व्यय की जानी अपेक्षित थी। जाँच में पाया गया कि पंचायत को 14वें वित्त आयोग अनुदान से माह 6 /16 तक कुल ₹2034389 प्राप्त हुई व सोलर लाइट की खरीद हेतु 10% ₹203439 व्यय की जानी थी जबकि ₹449820 व्यय की गई जोकि आपत्तिजनक है इस प्रकार

(449820-203439)=₹246381 सोलर लाइट पर अधिक व्यय की गई। अत: उत्तरदायी से ₹246381 की वसूल कर उक्त अनुदान में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) उक्त खरीदी 18 सोलर लाइटो की स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई जिसके आभाव में खरीद की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: स्टॉक प्रविष्टि न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 क्रय की गई ₹9.00 लाख की निर्माण सामग्री की भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹898802 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया है । जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत भलेटा को अवगत करवाया । बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उत्तरदायी से करके पंचायत निधि में जमा की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत भलेटा को इस सन्दर्भ में अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक रजिस्टर
8.	खाताबही
9.	मस्ट्रोल रजिस्टर

12 बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने बारेः -

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्धारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15,2015-16,2016-17 के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा द्धारा अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अत:उक्त अवधि के बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

15 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

16 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)121/2017 खण्ड–1–603–606दिनांक 19.01.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भलेटा, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881